समाज-शिक्षा में मनोरंजन
व
सांस्कृतिक कार्य

★

(इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशिएशन द्वारा आयोजित
पाँचवें सेमिनार की रिपोर्ट व सिफारशें)

★

इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशिएशन
३० फैज बाजार, दिल्ली ।

समाज-शिक्षा में मनोरंजन
व
सांस्कृतिक कार्य

★

(इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशिएशन द्वारा आयोजित
पाँचवें सेमिनार की रिपोर्ट व सिफारशें)

★

सीरीज़ २२

१९५६

इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशिएशन

३० फैज़ बाज़ार, दिल्ली।

प्रकाशक—
इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशिएसन,
३० फैज बाजार, दिल्ली।

मूल्य बारह आने

मुद्रक
युनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली—८

आमुख

"समाज शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों" पर पांचवीं राष्ट्रीय सेमीनार ११ से २० अक्टूबर १९५४ में मैसूर के निकट पश्चिमावाहिनी में हुई। इसकी रिपोर्ट अंग्रेजी में १९५५ में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट का समाज शिक्षा संगठन कर्ताओं तथा प्रबन्धकों द्वारा तो बहुत स्वागत हुआ, किन्तु क्षेत्र कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर्स) अंग्रेजी में लिखी होने के कारण इससे बहुत लाभ नहीं उठा सके। उस कठिनाई का निवारण करने के लिये तथा क्षेत्र-कार्यकर्ताओं के लिये राष्ट्र-भाषा में साहित्य उत्पादन की हमारी नीति के कारण हम इस रिपोर्ट का हिन्दी रूपान्तर निकाल रहे हैं। आशा की जाती है कि क्षेत्र-कार्यकर्ताओं के लिये यह उपयोगी सिद्ध होगी।

इसके प्रकाशन में दी गई सहायता के लिये हम श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, रिसर्च ऐसोशियेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली के उपकृत हैं।

एस० सी० दत्ता
एसोशियेट सैक्रेट्री,
इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशियेशन।

३०–फैज बाजार, दिल्ली
१५–८–५६

भूमिका

इण्डियन एडल्ट एजुकेशन द्वारा आयोजित पांचवीं सेमीनार (गोष्ठी) मैसूर राज्य में, कावेरी नदी के तट पर पश्चिमीवाहिनी में ११ से २० अक्तूबर १९५४ तक हुई। इसमें विचार का विषय था—"समाज-शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों का स्थान तथा उनका संगठन।" इस सेमीनार का उद्घाटन मैसूर के राज्य-प्रमुख ने किया।

सेमीनार में ९३ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें १४ महिलाएँ थीं। निम्नलिखित राज्यों ने प्रतिनिधि भेजे थे।

आन्ध्र, आसाम, भोपाल, बिहार, बम्बई, देहली, हैदराबाद, काश्मीर, मध्य-भारत, मध्य-प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ट्रावनकोर कोचीन, त्रिपुरा, उत्तर-प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

समाज-शिक्षा के कार्य-क्रम में "मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य-कलापों के संगठन" का विशेष स्थान है। अतएव इसको गोष्ठी का विषय चुना गया था। दिसम्बर १९५३ में, कलकत्ते में आयोजित १०वीं प्रौढ़-शिक्षा सम्मेलन में इसको महत्व दिया गया। समाज-शिक्षा में मनोरंजन का क्या स्थान है इस पर तब परि-संवाद हुआ, तभी यह ज्ञात हुआ कि देश के समाज-शिक्षा के विशेषज्ञों और कार्य-कर्ताओं की सभा में इस विषय पर अध्ययन और वाद-विवाद किया जाय तो इस आन्दोलन को सहायता होगी। यह भी आशा थी कि गोष्ठी द्वारा इस विषय पर विचारों का स्पष्टीकरण हो जाएगा जिससे समाज-शिक्षा की उन्नति के हेतु कार्य-कर्ता और नेता मनोरंजन व और संस्कृति के कार्यों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव श्री जे० सी० माथुर, आई० सी० एस० गोष्ठी के संचालक चुने गए थे, उन्होंने कार्य-क्रम का कार्य-वाहक-पत्र (ड्राफ्ट वर्किंग पेपर) तैयार किया। २१ जुलाई १९५४ को वह सदस्यों के पास उनकी राय जानने के लिये भेज दिया गया। कुछ आवश्यक कारणवश श्री जे० सी० माथुर गोष्ठी के संचालक का कार्य करने में असमर्थ रहे। अतएव

श्री ए० आर० देशपाण्डे को उनके स्थान पर संचालक बना दिया गया। उन्होंने अन्तिम वर्किंग पेपर तैयार किया जो कि २३ सितम्बर १९५४ को सब प्रतिनिधियों के पास भेज दिया गया। बाद में मैसूर में ११ अक्तूबर को गोष्ठी के खुले अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया। सब प्रतिनिधियों ने इसका अध्ययन और वाद-विवाद का विषय स्वीकार किया।

११ अक्तूबर के खुले अधिवेशन में सब प्रतिनिधि पांच समूहों में विभक्त हो गये। प्रायः खुले अधिवेशन में ही सामूहिक वाद-विवाद के विषय का स्पष्टीकरण हो जाता था। उसके पश्चात् समूहों ने उन विषयों पर वाद-विवाद किया और अगले दिन अपने प्रतिवेदन खुले अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किए, जिसमें कि सारे प्रतिनिधि उस पर वाद-विवाद कर सकें।

मैसूर के सार्वजनिक प्रशिक्षण के उप-संचालक श्री टी० वासुदेवेया ने इस गोष्टी के सहायक संचालक का काम किया और श्री टी० वी० थिमै गौडा (जो कि मैसूर राज्य के प्रौढ़-शिक्षा संस्था के कार्य-कारी अधिकारी हैं) ने इसके मुख्य सचिव का काम किया।

यह गोष्ठी कावेरी नदी के तट पर कृष्णामूर्ति बंगले में हुई। इसके प्राकृतिक दृश्यों ने और ऐतिहासिक और धार्मिक स्मृतियों ने गोष्ठी के कार्य को अधिक आनन्दमय बना दिया। इस स्थान के निकटवर्ती भवनों में तथा यात्रियों के बंगले में सारे प्रतिनिधि ठहराए गए थे परन्तु उनकी भोजन-व्यवस्था एक स्थान पर की गई थी प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए भारतीय सरकार ने डाक और तार घर खोल दिया था।

भिन्न-भिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन कुछ न कुछ मनोरंजन के कार्य-क्रम आयोजित होते थे तथा अनेक स्थानों में भ्रमण करने की भी व्यवस्था की गई थी। इससे विचार गोष्ठी और भी रुचिकर कर हो गई थी और इसको एक व्यवहारिक रूप भी मिल गया।

२० अक्टूबर को विचार-गोष्ठी समाप्त हो गई। मैसूर के खाद्य-मन्त्री श्री नगन गौडा ने अन्तिम दिन व्याख्यान दिया। विचार गोष्ठी के संचालक श्री देश-पाण्डे ने गोष्ठी का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) उपस्थित किया।

इस बात से सभी सहमत थे कि इस विचार-गोष्ठी से समाज-सेवा में

मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यों के मूल्य का अधिक ज्ञान हुआ है और यह भी ज्ञात हुआ कि देश में समाज-सेवा के वर्तमान प्रकरण में किस प्रकार इनके व्यवहार से अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

विचार गोष्टी का वातावरण मित्रता तथा विनोद पूर्ण था। प्रतिनिधि एक साथ रहते थे, अधिवेशन में भोजन तथा सांस्कृतिक कार्य-क्रमों के समय, भ्रमण तथा भिन्न-भिन्न स्थानों के दर्शनार्थ जाते हुए, वृक्षों तथा पाण्डाल के नीचे सब परस्पर भेंट करते थे। इन सभी ने सामजिक अनुभव तथा विचार-गोष्ठी की उन्नति में सहायता दी।

सामूहिक वाद-विवाद के प्रतिवेदन का सारांश

१. साधारण

(१) समाज-शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों का स्थान

इस बात में सब एक मत थे कि समाज-शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों का अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान है तथा ये काम समाज-शिक्षा के वे साधन हैं जिनका पूर्ण रूप से लाभ उठाया जा सकता है।

शब्दों की परिभाषा—

सभी ने यह अनुभव किया कि इस सम्बन्ध में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनकी परिभाषा आवश्यक है। परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिभाषाएँ सर्व सम्मति से स्वीकार हुई—

समाज-शिक्षा—समाज के सदस्य की हैसियत से किसी के व्यक्तित्व के विकास हेतु जो शिक्षा दी जाए उसे समाज शिक्षा कहते हैं। किसी के व्यक्ति को अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से उभारने योग्य बनाना ही इसका उद्देश्य है। मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाने व उसमें जातीय भावना की वृद्धि में सहायता देना उसका लक्ष्य है ताकि वह समाज का एक उत्तरदायी तथा रचनात्मक सदस्य बन सके। इसी उद्देश्य-पूर्ति के लिए मनोरंजन व सांस्कृतिक कामों का उपयोग होना चाहिये।

मनोरंजन—मन शरीर अथवा भावनाओं से थके हुए व्यक्ति को शक्ति के निर्माण में मनोरंजन सहायक होता है। इस प्रकार क्षति-पूर्ति हो जाने से वह अपने दैनिक कार्यों को अधिक योग्यता से करने में समर्थ होता है।

यद्यपि संस्कृति की उपयुक्त परिभाषा देना सम्भव नहीं, तथापि सामूहिक विचार से जीवन-व्यतीत करने के ढंग से समाज की जिस बुद्धिमता का बोध होता है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति वही है जो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ बुद्धि का निर्माण कर सके जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का विकास हो।

मनोरंजन जनता की संस्कृति का एक अंग है। अतएव सांस्कृतिक कार्यों को मनोरंजन के कार्यों से पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी कार्य हैं जो जनता की मनोरंजन व सांस्कृतिक दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार देखा जाय तो मनोरंजन व संस्कृति परस्पर सम्बन्धित है तथा कहीं-कहीं उनमें एकता भी है।

समाज शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य जीवन प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। वह समाज में, जीवन में, जागृति उत्पन्न कर सर्व साधारण के जीवन को ठोस बना सकते हैं। समाज शिक्षा के उद्देश्य-पूर्ति के हेतु केवल मनोरंजक कार्यों की अपेक्षा सांस्कृतिक पहलू पर अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। कुछ भी हो सांस्कृतिक अंश इतना अधिक बुद्धि-सम्बन्धी नहीं होना चाहिये कि वह साधारण मनुष्य की पहुँच के ही परे हो जाए।

संक्षेप में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों का उद्देश्य हो सकता है—
परम्परागत संस्कृति की रक्षा करना व उसे समृद्ध बनाना।

निम्नलिखित के लिये अवसर प्रदान करना—

जीवन की ऊब से छुटकारा। अवकाश का लाभदायक उपयोग।

आत्म-अभिव्यंजना, आत्म-विश्वास व गौरव।

नेतृत्व के गुणों का विकास।

व्यक्तिगत व सामाजिक शिक्षा का विकास।

समानता, एकता तथा सहयोग की भावना में वृद्धि जिससे सामाजिक भ्रातृत्व की उन्नत्ति हो।

सफलता का आनन्द व उसमें सहभाग।

समुदाय की नैतिक अवस्था का स्थान।

(२) निम्नलिखित के साधन के रूप में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य प्रेरक हैं :—

अनुभव हीन ग्रामीण जीवन के लिए मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य प्रेरणा के शक्ति-शाली साधन हैं। वे काम जनता स्वयं करती है। वे बाहर से लादे जाने वाले कार्यों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावोत्पादक हैं।

(क) मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यों की प्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो सहभागियों को लक्ष्य-प्राप्ति के हेतु सक्रिय होने को उत्तेजित करता है।

(ख) सार्वजनिक व सामूहिक सम्पर्क, सार्वजनिक व सामूहिक कार्य-कलाप जनता व सामूहिक सम्पर्क के लिये अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। यदि इस उद्देश्य को सफल बनाना है तो पहले से ही इसकी योजना-निर्माण में सावधानी की आवश्यकता है। विशेष उद्देश्य के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। और उन्हें निरन्तर दृष्टि में भी रखना चाहिए नहीं तो कभी-कभी इन कार्यों में स्वयं ही साध्य बन जाने की प्रवृत्ति हो जाती है। समाज, शिक्षा को जन-साधारण की बहुत बड़ी संख्या तक पहुँचना आवश्यक है। वहाँ ये कार्य-कलाप जनता तथा सामूहिक सम्पर्क के अन्यतम साधन हैं और भिन्न-भिन्न व्यक्ति के निकट पहुँचने की अपेक्षा इसका परिणाम भी अधिक अच्छा होता है।

(ग) अनौपचारिक रीति द्वारा शिक्षा मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप परोक्ष विधि से शिक्षा देने के साधन हैं। वे जनता में रुचि उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार नूतन विचार ग्रहण करने के लिए उनके मस्तिष्क को तैयार करते हैं।

(घ) *स्वास्थ्य मनोरंजन व विश्राम प्रदान करना—*

कोई समुदाय हो या एक व्यक्ति हो, अपनी निर्धनता व अनुन्नत होने की दशा में भी सभी मनोरंजन तथा शान्ति के कोई न कोई साधन खोज निकालते हैं। कभी कभी ये निम्न होते हैं। जैसे—मदिरालय, जुए के अड्डे, अथवा अशिष्ट गन्दे और भद्दे नृत्य के नाटक।

इसके विपरीत स्वस्थ मनोरंजन तथा वैज्ञानिक रूप में उन्हें विपरीत आकर्षण प्रदान करने की आश्यकता है। इस आवश्यकता पूर्ति के लिए मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्य-कलापों का प्रयोग करना चाहिये।

(ङ) *सामुदायिक संगठन व सामूहिक निर्माण*

समाज शिक्षा का उद्देश्य सामुदायिक समस्याओं के हल करने में सहायता प्रदान करने का है अतएव मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था जनता के लिए, तथा जनता द्वारा ही होनी चाहिये। सामुदायिक सदस्य संगठन के

उत्तरदायित्व को सम्भालने में और इसको किसी न किसी रूप में स्थायी बनाए रखने में स्वेच्छानुरूप कितना सहभाग और रुचि लेते हैं इस बात से हम इन कार्यों के प्रभाव को माप सकते हैं। समाज-शिक्षक का कर्तव्य प्रोत्साहन देना व उसको शिक्षा के योग्य बनाना है। यदि इन प्रारम्भिक बातों की दृष्टि में रखा जाए तो इसका अर्थ है कि मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों की एक सफल योजना के निर्माण हेतु ऐसे व्यक्तियों की समिति की आवश्यकता है जिनको इन कार्य कलापों में रुचि है।

मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों का क्षेत्र इतना विस्तृत और विशाल है कि भिन्न भिन्न रुचि के आधार पर अनेक समूहों का निर्माण हो सकता है।

(च) किसी समुदाय में पहले से ही जो तत्व हों समाज शिक्षा में उन्हीं का अधिकतम प्रयोग करना होता है। अतएव कार्य-कर्ता को मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्य कलापों के वर्तमान रूप का अध्ययन करना होता है। तत्पश्चात उसे यह परीक्षण करना होता है कि उनका वर्तमान रूप समाज-शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य प्राप्ति में कहाँ तक सहायक हो सकता है? इस प्रक्रिया से जिन सुधारों की आवश्यकता होती है वे स्पष्ट हो जाते हैं और मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों की सुव्यवस्था ही वर्तमान रूप में सुधार का साधन बन जाती है।

कितने ही स्थानों में मनोरंजन के वर्तमान रूप में अपनी मौलिक विशेषता तथा मूल्यों का लोप हो गया है। वे वर्तमान दशा तथा आवश्यकता के अनुकूल नहीं हैं। अतएव मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था के लिये उनके वर्तमान रूप में समय के अनुकूल समायोजन तथा सुधार करने की आवश्यकता है।

(छ) *सांस्कृतिक प्रगति।*

सांस्कृतिक प्रगति मनोरजंनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप के समुचित संयोजन का परिणाम होते हैं। ये परिवर्तन परोक्ष शिक्षण द्वारा होते हैं और तब यही सामाजिक मूल्यों को जन्म देते हैं।

(ज) *सृजनात्मक भावना का पुनर्जन्म।*

जब कभी अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं और किसी नवीन वस्तु की मांग होती है तब जन-साधारण की सृजनात्मक भावना जागृत होती है।

और किसी नवीन वस्तु की मांग होती है तब जन जन-साधारण की सृजनात्मक भावना जागृत होती है। मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप का संयोजन इस प्रोत्साहन को जन्म देता है और इस प्रकार वह सृजनात्मक भावना की उत्पति का साधन बनता है।

(झ) *तारतम्य रखने के कार्य-क्रम और अनुसरणात्मक कार्य।*

सामाजिक शिक्षण के अन्तर्गत तारतम्य बनाए रखने के कार्य-क्रम और अनुसरणात्मक कार्यों का उद्देश्य नागरिक शिक्षा देने, चरित्र विकास करने व सहकारी व भावना के निर्माण और श्रेष्टतम सामाजिक समानुकूलता प्राप्त कराने के साधन प्राप्त कराना है। इस की पद्धति यह है कि पहले समूह-रचना का क्रम आरम्भ किया जाय। क्योंकि मनोरजंनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप का संयोजन जनता में रुचि व आकर्षण उत्पन्न करता है इसीलिये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह एक अच्छा साधन सिद्ध होता है।

(३) मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप किस प्रकार संयोजित किये जा सकते हैं कि वे भाग १-२ के अन्तर्गत निर्दिष्ट विषयों में अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति कर सकें।

एक रोचक विचारणीय प्रश्न यह था कि मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्य कलाप अपने में साधन हैं या साध्य। सामाजिक शिक्षण के कार्य-क्रम में उन्हें देखा जाए तो वे साधन जैसे प्रतीत होते हैं। ये कार्य कलाप अपने में सामाजिक शिक्षण देने की क्षमता भी रखते हैं। अतएव सामाजिक शिक्षा के कार्य-क्रम से उनका सम्बन्ध कुछ आंशिक जैसा ही है।

भाग १-२ के अन्तर्गत अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य कलाप का संयोजन लोक-तंत्रीय ढंग से होना चाहिये। इसकी प्रविधि यह होनी चाहिये कि समाज में जो लोग इस चीज में रुचि रखते हों उन्हें अपनी रुचि का कार्य-क्रम निश्चित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाए। सहभागियों के मत और रुचि का आदर करना आवश्यक है। सहकारी प्रयत्न में कार्य-कर्ता को एक ऐसे क्रियानिष्ठ नेता और व्यक्ति के रूप से कार्य करना होता है कि वह दूसरे को उस कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। उसे अपने आपको पृष्ठ भूमि में रखने का प्रयत्न करना चाहिये और प्रथम और मूल उत्साह समाज को सौंप देना चाहिये।

प्राथमिक अवस्था में कार्य-कर्ता को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि वह अपने आपको उन लोगों से घुला-मिला दे जिनके सामाजिक कल्याण के लिये वह मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य कलाप आयोजित करना चाहता है। उसे लोगों का मनो-विज्ञान समझने की और सामुदायिक स्वीकृति की आवश्यकता है। आरम्भ स्थानीय कार्य-कलापों से करना चाहिये जिनका कि जनता को ज्ञान हो। जैसे-जैसे वह जनता का विश्वास प्राप्त करता जाए वैसे-वैसे ही उसे उसमें नए नए कार्य-कलापों का समावेश करते जाना चाहिए।

मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य-कलाप साधन के रूप में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके इसके लिये कुछ संयोजनात्मक प्रविधि की भी आवश्यकता है। कार्य-क्रम के पहले और बाद में उस पर विचार-विनिमय करना और सहभागियों को अन्त समय तक व्यस्त रखना आवश्यक है ताकि सामाजिक शिक्षा का सम्पूर्ण प्रोग्राम ही लाभप्रद हो सके।

नाटक, चल-चित्र, मेले और प्रदर्शनियाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं अतः उनके द्वारा सार्वजनिक सम्पर्क स्थापित करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रयोजन के लिये सार्वजनिक सम्पर्क का विकास करना जरूरी है उसे निरन्तर ध्यान में रखना चाहिए। कार्य-क्रम के पहले और बाद में व्याख्यान, वार्ता और विचार-विनिमय के द्वारा प्रत्येक अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

श्रोताओं की प्रतिक्रिया भी मालूम की जानी चाहिए। इस की एक विधि यह है कि श्रोताओं में से कुछ प्रतिनिधि पहले चुन लिये जाए जिन्हें इसका प्रयोजन पहले से ही समझा दिया जाए व कार्य-क्रम के पश्चात उनके विचार उस सम्बन्ध में ज्ञात किये जाये।

विभिन्न कार्य-कलापों के लिये पृथक समुदाय बनाए जायें जिनका आधार आयु व्यवसाय और हित हों। लेकिन इस बात की सावधानी रक्खी जाए कि उन समुदायों में परस्पर प्रतिद्वन्दिता की भावना न उत्पन्न हो उन्हें चाहिए कि वे परस्पर एक दूसरे से मिलें और विचार-विनिमय भी करें।

हित-आयु, सामर्थ्य, व मित्रता के आधार पर समूह बनाने की पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिये और इसके द्वारा व्यक्ति के विकास और नेतृत्व के लिये अवसर प्रदान किया जाए। अनुन्नत व्यक्तियों और वर्गों को

अधिक अवसर प्रदान करना चाहिये और उनका विशेष ध्यान किया जाना चाहिये।

युवा व्यक्तियों को बच्चों और बालिगों तथा वृद्धों के बीच जोड़ने वाली कड़ी का काम करना चाहिये। प्रत्येक समूह के महत्व पूर्ण मुख्य हित को मान्यता मिलनी चाहिये।

मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप को शिक्षा के माध्यम के रूप में अनौपचारिक ढंग से प्रयुक्त करते समय इस बात की सावधानी रक्खी जानी चाहिये कि शिक्षा देने का पहलू मनोरंजन और मनोविनोद के पहलूओं को ढक न ले। सीधी शिक्षा देने की अपेक्षा उन्हें चाहिये कि वे मनोरंजन अधिक प्रदान करें।

शिक्षा तो इन कार्य-कलापों का फल होना चाहिए। सीधे प्रचार और उपदेश से बचना चाहिये।

मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप का उपयोग यह होना चाहिये कि वे सामाजिक शिक्षा के कार्य-क्रम को उसके सभी पहलुओं के चलाने में फलदायक प्रारम्भिक माध्यम बन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में उपयुक्त साहित्य का निर्माण होना चाहिये।

समुदाय या वर्ग की समस्या पर जोर दिया जाना चाहिये। ग्रामीण लोगों के लिये स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये। कार्य-क्रम ऐसे होने चाहिये जो स्थानीय साधनों द्वारा उपस्थित किये जा सकें।

स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने की उद्देश्य पूर्ति के लिये उचित वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिये। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिये जिससे निम्न श्रेणी की भावनाएं उत्पन्न हों। कार्य-क्रम का विषय गन्दा या भद्दा न होना चाहिये। हास्य या मज़ाक निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिये।

वर्तमान पद्धति के सुधार के लिये जब ये कार्य कलाप प्रयोग में लाए जाएँ तो सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिये वो यह है कि उसका मौलिक महत्व, प्रविधि तथा अभिप्राय खो न जाए। सुधार का उद्देश्य अवांछित लक्षणों का त्याग कर वर्तमान विषयों को मिलाना नहीं होना चाहिये। परिवर्तन बहुत शनैः शनैः होना चाहिये। सहभागियों के साथ वाद-विवाद द्वारा ही रूप-रेखा की व्याख्या समझानी चाहिये।

इन कार्य-कलापों को सांस्कृतिक प्रगति के साधन मान कर व्यवहार करते समय यह दृष्टि में रखना होगा कि समस्त देश में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है उसका संस्थान क्या है। किसी प्रदेश में भिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के कार्य-क्रम में तथा देश के विभिन्न राज्यों के कार्य-क्रम के आदान-प्रदान से इस कार्य में बहुत कुछ सहायता प्राप्त होगी।

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो कार्य-कलाप प्रचलित हैं उनके सम्बन्ध में सरल प्रान्तीय भाषाओं में लिखित साहित्य प्राप्त होना चाहिये।

प्रत्येक को अपने भाव प्रदर्शन करने के अवसर देने से उनमें सृजनात्मक भावना जागृत होती है। प्रारम्भ में उच्च स्तर के लिये अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। किसी व्यक्ति तथा समाज के पिछले कार्यों के साथ तुलना करनी चाहिये। व्यक्ति-विशेष तथा समुदाय को उनके उन्नति व फल-प्राप्ति के लिये प्रोत्साहन तथा मान्यता देनी चाहिये।

सारांश में, विशेष सर्व मान्य लक्ष्य ये हैं।

किसी कार्य क्रम के पहले और पश्चात्, सामुदायिक प्रतिनिधि समूह के साथ वार्तालाप तथा विचार विनिमय होना चाहिये।

प्रतिक्रिया का अध्ययन करना चाहिये ताकि पहले से अधिक अच्छे कार्य-क्रम की रचना हो सके।

सब स्तरों में बिरादरी को सक्रिय बनाने का प्रयत्न होना चाहिये।

तथा झगड़ों तथा विरोधों को दूर रखना और कार्य-कलापों के तारतम्य को बनाए रखने का विश्वास उत्पन्न करना चाहिये।

२. मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप क्या है ?

मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप के गुणों को भली भांति से विचार किया जाने पर प्रतीत हुआ कि मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप वे हैं जो शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक सन्तुष्टि, आनन्द तथा मनोरंजन प्रदान करे। सांस्कृतिक कार्य-कलाप वे हैं जो मस्तिष्क को प्रखर करें तथा व्यक्तित्व का विकास करें।

समाज-शिक्षा के कार्य-क्रम के मनोरंजक व संस्कृति के भिन्न भिन्न कार्य-क्रमों की आवश्यकता है और ऐसे कार्य-कलापों की भी जो सांस्कृतिक तथा मनोरंजक दोनों हों।

कुछ ऐसे विशेष कार्य-कलाप जो कि भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है और समाज शिक्षा के कार्य-क्रम में उनके उपयोग निम्न प्रकार है :—

१. (क) *नाटक*

समाज सेवा के कार्य-क्रम में भिन्न-भिन्न रूप में नाटक का महत्व साधारण नहीं है। यह जन-साधारण का मनोरंजन करता है। श्रोतागण उसको विचार पूर्वक देख कर तथा तादात्म्य से परोक्ष रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। विषयों के उचित चुनाव से वर्तमान समस्याएं उपस्थित करने में सहायता प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप उनको हल करने के हेतु सामुदायिक संगठन हो जाता है।

अभिनेताओं में सामूहिक सम्पर्क की वृद्धि होती है। उनको रंग-मंच पर नाटक खेलने से संगठन की शिक्षा प्राप्त होती है। उनमें रुचि उत्पन्न हो जाती है तथा सृजनात्मक भावना जागृत होती है।

भिन्न-भिन्न रूप

संगीत नाटक—ऐसे नाटक या रचनाएं जिनमें संगीत एक मुख्य अंग होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है। उनके भिन्न-भिन्न नाम है तथा वे इतने प्रकार के हैं कि उनकी सूचि बनाने के लिये और उनकी व्याख्या करने के लिये पृथक प्रयास की आवश्यकता है।

समाज शिक्षा के लिये जो अन्य उपयुक्त ढंग के नाटक हैं वे निम्न प्रकार है :

(१) एकांकी नाटक (२) मूक नाटक (३) टैबलो
(४) स्वगत भाषण (५) हास्य जनक नाटक (६) प्रहसन।
(७) सांस्कृतिक प्रदर्शन

किसी किसी क्षेत्र में नाटकों का अपना स्थानीय नाम तथा संस्थान है। इनकी सूची बनाने की चेष्टा की गई थी पर क्योंकि विचार-गोष्ठी का समय

बहुत सीमित था इस कारण यह अनुरोध किया गया कि इण्डियन एडल्ट एजुकेशन ऐसोसियेशन इस कार्य का पूर्ण संग्रह करे।

निम्न लिखित कुछ विशेष रूप हैं जिनके बारे में वाद-विवाद हुआ।

राम-लीला	:	उत्तर भारत
रास-लीला	:	गुजरात
कथा-काली	:	मालाबार
तमाशा	:	महाराष्ट्र
नौटंकी	:	उत्तर-प्रदेश मध्य भारत तथा बिहार
स्वांग	:	पंजाब
जात्रा	:	पश्चिमी बंगाल

(ख) *कथा, कीर्तन तथा कलाक्षेपम*

इन का कथानक तथा अर्थ यदि सामाजिक उन्नति की वर्तमान समस्याओं से सम्बन्ध रखता हो तो ये नाटक सामाजिक शिक्षा के लिये हितकारी होते हैं। इस कार्य पूर्ति के हेतु नाटक खेलने वाले इन साम्प्रदायिक नटों को प्रेरणा देने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे विभिन्न ग्रामीण ढंग हैं जो इस सूची में सम्मिलित हो सकते हैं जैसे।

बौलगान, कविगान	:	बिहार, पश्चिमी बंगाल
चक्कियार कथा—		
और ओतमयुलाल	:	मालाबार, ट्रावनकोर कोचीन
आल्हाऊ दल	:	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और बिहार
बिहुला	:	बिहार
कुराबार	:	जन-जाति गण
बडौढ	:	महाराष्ट्र

(ग) *भजन*

भजन किसी न किसी रूप में समस्त भारत में प्रचलित हैं। तो भी इन भजन वृन्द के संगठन और उनके गीतों के अधिक उत्तम चुनाव की आवश्यकता है।

(घ) *संगीत*—लोक-गीत और सामुदायिक गान

लोक-गीत जन-साधारण की संगीत रचना है। इस लिए समाज-शिक्षा के कार्य-क्रम में अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं। इन सब प्रकार के लोक गीतों में नई बातें आरम्भ करनी चाहिये। प्रचलित धार्मिक लाभ के अतिरिक्त सामाजिक कार्य के लिये भी साम्प्रदायिक गान की उन्नति करनी है।

(ङ) *नृत्य*—लोक-नृत्य

विशेष जन-जाति में और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार के लोक-गीतों के कुछ विशेष प्रकार ये हैं।

महाई, बालू, हीर-रांझा और भागंढा	:	पंजाब
झुमुर, तुसा और तारजा	:	पश्चिमी बंगाल
गरबा और रास	:	गुजरात
तिपरी, फुगदी और लेज़ीम	:	महाराष्ट्र

मनीपुरी कत्थक तथा भरत नाटचम् ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य के रूप हैं।

समाज शिक्षा में लोक-नृत्य को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि उनकी प्रविधि बहुत सरल है और मनुष्य उसमें बहुत बड़ी संख्या में भाग ले सकते हैं।

(च) *कठपुतली, मेरीयनैट, शैडो प्ले और फ्लैनल ग्राफ्स*

कठपुतली को न केवल तमाशे के लिये अपितु श्रोताओं की रुचि के किसी विषय पर भाषण देने के लिए भी व्यवहार में ला सकते हैं। उसे बहुत साधारण वस्तुओं से बना कर स्थानीय वेष भूषा पहना सकते हैं। उनकी सामग्री को इधर उधर ले जाना सुगम होता है। उसकी विधि कठिन नहीं है परन्तु कार्य सम्पादक में विभिन्न स्वर निकालने की योग्यता होनी चाहिये। छाया चित्र, लज्जाशील अभिनेता को उत्साहित करने के लिये लाभदायक है। वो पर्दे के पीछे रह कर भी अभिनय कर सकता है। छाया चित्र के लिए अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। और समाज सेवा के लिए उसे बहुधा प्रयोग किया जा सकता है।

धागे द्वारा कठपुतली को नचाना एक उच्च कला है। यह भारत के कुछ भागों में प्रचलित हैं। जैसे राजस्थान, मैसूर और आन्ध्रा। कुछ लकड़ी की गुडियाँ व्यवहार में लाते हैं जो कि धागे से बन्धी होती हैं जबकि दूसरे पारदर्शी चमड़े में से काटी हुई तस्वीरें पर्दे पर दिखाने के लिये प्रयोग करते हैं। खेल दिखाने वाले कुशल व्यक्ति होते हैं। तथा उसकी कला सीखनी कठिन है। समाज शिक्षा के हेतु इसे माध्यम बनाने के लिये परम्परा से चले आए इन कठपुतली के नाच दिखान वाले को नए नए प्रकरण तथा प्रसंग आरम्भ करने के लिए प्रेरित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी।

पलैनलग्राफ को तैयार करना सरल है और भाषण व पाठ को रोचक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। पलैनल का स्थान खादी ले सकती है। फिर भी उसकी उपयोगिता तुलना में कुछ छोटे समूहों तक सीमित है। उनके साथ व्यवहार करते समय भाषणों को रोचक बनाने के लिये पलैश के पत्ते भी प्रभावकारी होते हैं। पलैश के पत्तों की उपयुक्त श्रृंखला बनाने के लिए कार्य-वाही करनी पड़ेगी।

(छ) वाक्-प्रतियोगी समितियाँ और कवि सम्मेलन (मुशायरा)

वाद-विवाद में भाग लेने वालों को उनकी समस्याओं के बारे में जब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तब वाद-विवाद की चेष्टा करनी चाहिये। जब भाग लेने वालों में गुणों के पहिचान की क्षमता उत्पन्न हो जाए तब मुशायरा (कवि सम्मेलन भिन्न भिन्न रूप में मुशायरे को अन्तक्षरी भी कहते हैं) तथा समस्या पूर्ति का आश्रय भी लिया जा सकता है।

सामूहिक विचार था कि ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको राष्ट्रीय, धार्मिक, स्थानीय, मौसमी तथा कृषि पर्वों का भी संगठन करने के पश्चात् उनको मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्य-कलापों की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है।

इन कार्य-कलापों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इन सब प्रेरक सार्वजनिक व सामूहिक सम्पर्क के कार्यों को अनौपचारिक विधि से शिक्षा, मनोरंजन, विश्राम, सांस्कृतिक उन्नति, रचनात्मक शक्ति तथा प्रेरणा की जागृति के लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर विभिन्न परिणाम सहित सामाजिक शिक्षा के हेतु व्यवहार में लाया जा सकता है।

सामूहिक निर्माण तथा सामुदायिक संगठन के लिए इनकी उपयोगिता में यथेष्ठ अन्तर है। सब मनुष्यों को परस्पर निकट लाने के लिए और उनमें वह भाव उत्पन्न करने के लिए कि वे भी बिरादरी के अंग हैं नाटक, कथा, भजन, वाद-विवाद जैसे कार्य-कलापों की अपेक्षा समूह-गान लोक नृत्य तथा सामुदायिक गान अधिक प्रभावशाली होते हैं। अतएव समाज शिक्षा में इन कार्य-कलापों के प्रभाव शाली संगठन के लिये आवश्यक है कि हम जनता के सांस्कृतिक संस्थान को उनके दैनिक काम-धन्धे उनके सुख दुख और सबसे अधिक, उनकी अभिलाषाओं और इच्छाओं को समझें।

(२) *मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्य-कलापों के दूसरे रूप :—*

(क) शारीरिक कल्याण-कारी कार्यकलापों जैसे खेल-कूद, पुरुषों-स्त्रियों और बच्चों के लिये घर के अन्दर और बाहर के खेल

आरम्भ करने के लिये स्वदेशी खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए बहुत अल्प साधनों की आवश्यकता होती है। इन खेलों में प्रवीण आदमी सुगमता से प्राप्त हो जाएँगे।

खेलने वालों की आयु, उनका डील-डौल, उनका लिंग उनकी रुचि के अनुसार ही इन खेलों का चुनाव होना चाहिये।

ऐसे अनौपचारिक लघु समूहों को उत्साहित करना चाहिये जो ऐच्छिक हों क्योंकि भाग लेने वाले स्वतन्त्र खिलाड़ियों को ये अवसर प्रदान करता है।

स्त्रियों के योग्य खेलों की सूची बनाने में कठिनाई का अनुभव हुआ क्योंकि उनके योग्य बहुत कम खेल प्रचलित हैं। कन्याओं के योग्य भी बहुत कम खेल प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में फुगदी और झिम्मा जैसे स्वदेशी खेल बहुत चलते हैं। दूसरे क्षेत्रों में भी स्त्रियों के लिये इसी प्रकार के और खेल हो सकते हैं। इनके बारे में जानकारी रखना और स्त्रियों में उन्हें आरम्भ करना आवश्यक है।

स्त्रियों के लिए नए खेल निकालने होंगे ऐसी वृद्धाओं के लिये जो कि सक्रिय खेलों की अपेक्षा चुपचाप परन्तु सामाजिक खेल चाहती हैं उनके योग्य भी कुछ विदेशी खेलों का प्रबन्ध किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जनता पर ऐसे खेलों का बहुत भार न डाला जाये जिनके लिये अत्यन्त शारीरिक शक्ति की आवश्यकता हो।

एक बार ऐसे खेलों का आरम्भ हो जाये जिसके लिये या तो साधनों की आवश्यकता ही न हो या फिर वे साधन उसी स्थान से उपलब्ध हों यदि समूह चन्दा संग्रह कर साधन कर सकें तथा उनकी संभाल कर सकें तो वॉली-वॉल, हौकी, बैड-मिन्टन जैसे खेल भी आरम्भ किये जा सकते हैं और उनको प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

ग्रामीण युवकों को ऐसे खेलों की प्रतियोगिताएँ दिखाने ले जाना चाहिये जहाँ ऐसे खेल खेले जाते हों जिससे उन्हें अधिक अच्छा खेलना आये।

भारत के भिन्न-भिन्न भागों में जो स्वदेशी शरीरिक कार्य-कलाप प्रचलित हों उनमें से कुछ के ऊपर वाद-विवाद हुआ। उनमें से कुछ नीचे दिये जाते है।

व्यायाम के कई प्रकार और शारीरिक खेल :—

योगासन, सूर्य, नमस्कार, डंड बैठक, कुश्ती, मलखम्ब, लेज़िम कलरीपत और ड्रिल।

पुरुषों के लिये घर से बाहर के खेल खोखो,, हुतुवु या कबड्डी, अत्य पत्य चव्दु गुव्दु।

कन्याओं के लिये घर से बाहर के खेल—

खोखो, फुगदी, झिम्मा, लुको छिपो, मेड़िया और भेड़ इत्यादि।

घर के अन्दर के खेल—

चौपड़, चैस, सांप और सीढ़ी, कैरम।

(ख) पुस्तकालय, अजायबघर, मेले, प्रदर्शिनी, मनोरंजनार्थ भ्रमण, शिविर व मनो-विनोद के लिये बाहर जाने की व्यवस्था

पुस्तकालय :—

पुस्तकालय का कार्य समाज सेवा का एक अंग है अतएव अध्ययन गृह, स्थिर व घुमाई जाने वाली पुस्तकों के सेटों की व्यवस्था करनी होगी। ये सुविधाएँ मनोरंजक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त एक और प्रकार की भी सहायता का कार्य भी करती है जिससे वापिस अज्ञानता और

निरक्षरता की ओर न लौट जायें। नये साक्षरों मनुष्यों को प्रोत्साहित करने के लिये अध्ययन करने वाले समूह बनाने पड़ेंगे।

पुस्तकालय के कार्य में निपुण व्यक्ति की सहायता से ऐसी पुस्तकों का चुनाव किया जायेगा जो दैनिक समस्याओं के सम्बन्ध में हो या इतिहास, आत्मकथा साहित्य के विषयों पर हों। सामुदायिक सदस्य के पढ़ने की योग्यता और शिक्षा के स्तर को दृष्टि में रखते हुये ही पुस्तकों का चुनाव होना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों के लिये जिन्हें अभी साक्षर बनाया गया है पुस्तकें सरल भाषा में लिखी होनी चाहिये।

कुछ सदस्यों की राय में स्थानीय प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक को पुस्तकालय के कार्य में लगाने की वर्तमान प्रणाली सन्तोष जनक नहीं है। यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय प्रतिनिधि को ही पुस्तकालय के कार्य की व्यवस्था करनी चाहिये।

यह आवश्यक है कि ऐसे स्थानीय ऐच्छिक कार्य-कर्त्ता को इस बात में प्रवीण किया जाये कि भिन्न-भिन्न आयु के विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि कैसे उत्पन्न की जाये।

दीवार पर चिपकाने वाले समाचार पत्र और दीवार पर टंगे समाचार तख्ते पुस्तकालय के कार्य में सहायक हैं जो कि विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हों।

चलते फिरते पुस्तकालय और एक से दूसरे के पास घूमने वाले पुस्तकों के सैट समाज-शिक्षा में बहुत प्रभाव-शाली सिद्ध हुए हैं। परन्तु वो उचित ढंग से कार्य करते रहें इसके लिये आवश्यक है कि एक केन्द्रीय पुस्तकालय हो जो उनको नई और अधिक पुस्तकें देता रहें।

पुस्तकालय का कार्य बढ़ाने के लिये ऐच्छिक प्रयास की व्यवस्था करनी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय, स्थापित करने के लिये शहरी क्षेत्रों से पुस्तकों के संग्रह के लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

संग्रहालय :—

समाज शिक्षा के कार्य के लिये संग्रहालय का अभी तक उचित मात्रा में उपयोग नहीं किया गया, ग्रामीणों को शहरी व जिला के संग्रहालय को

दिखाने का प्रबन्ध करना एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यकलाप होगा जो हाथ में लेने योग्य है। देहाती क्षेत्रों की जनता को समूह में इन संग्रहालय को दिखाने ले जाना चाहिये। एक ऐसा प्रदर्शक होना चाहिये जो उन्हें ऐसी वस्तुओं का महत्व समझाये जो पुरातन इतिहास, चित्र-कला संस्कृति कला फल फूल व वनस्पति के प्रतिनिधि हों।

ऐसे लेखों का एक छोटा-सा संग्रह बनाने का प्रयास करना चाहिये जो उन ग्रामों में व्याप्त, कला के प्रतिनिधि स्थानीय रुचि के आधार पर लिये गये हों

संग्रहालय के साथ साथ समाचार केन्द्र भी होने चाहिये जो कई ग्रामों की सेवा कर सकें।

मेले :—

विशेष अवसरों पर ग्रामीणों का एकत्र होना मेला कहलाता है। मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप के साथ साथ इन ऐसे कार्यों का प्रबन्ध भी होता है जैसे शिशु प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी, अन्तर्ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिता, खेल कूद, स्थानीय कला प्रदर्शनी, कृषि सम्बन्धी संशोधित विधियाँ स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य-क्रम।

इस प्रकार के मेले से कई कार्य हो जाते हैं और यदि उसकी उचित रूप से व्यवस्था की जाये तो वह समाज शिक्षा का अच्छा कार्य कर सकता है।

प्रदर्शिनियाँ :—

प्रदर्शिनियां केन्द्रीय स्थान पर लगाई जा सकती है स्वतन्त्र रूप से भी या किसानों के मेले के साथ भी। प्रदर्शिनी को प्रभावशाली बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वहां ऐसे आदमी लगाए जाएँ जो दर्शकों को सरल भाषा में वस्तुओं के सम्बन्ध में समझा सकें। दिल्ली प्रान्त जो शिक्षा कारवां चलाती है। वह भी चलती फिरती प्रदर्शिनी का अच्छा उदाहरण है। उसमें मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य-कलाप भी साथ साथ होते हैं ग्रामों में छोटे पैमाने पर भी प्रदर्शिनी को व्यवस्था करने का प्रयास होना चाहिये। ऐसी वस्तुयें प्रदर्शित करनी चाहिये जो स्थानीय शिल्पकार की कला का प्रतिनिधित्व करती हों। ये प्रदर्शिनी ग्रामीण हस्त कलाकार को अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं।

घूमने के लिये बाहर जाना, शिविर लगाना मनो-विनोद के लिये जाना इत्यादि—

प्रौढ़ों के छोटे समूह को एक दूसरे के निकट लाने के लिये ये कार्य-कलाप अत्यन्त लाभदायक पाए जाते हैं। इनसे सह-भागियों में मित्रता, साथी की भावना, और नेतागिरी के भावों में वृद्धि होती है।

शिविर लगा कर ग्राम की स्वच्छता का, सड़कें निर्माण का और नहरें खोदने का कार्य लेने से प्रबन्ध करने की, नेतागिरी और समाज सेवा की शिक्षा के अत्युत्तम अवसर मिलते हैं। उनका उचित आयोजन आवश्यक है जिससे शिविर में एक साथ रहने से व्यक्तित्व का और क्रिया गत नेतृत्व के विकास का साधन हो सके। इससे जातीय विरोध जातीयता की सीमा भी नष्ट हो जाती हैं।

डेरे में सहभागियों से कुल व्यय का कुछ अंश लेना एक स्वस्थ अभ्यास है।

(३) *मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप का व्यक्तिगत रूप:—*

समाज शिक्षा में मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप के व्यक्तिगत रूप का अपना ही स्थान है क्योंकि वह आत्मविकास और सृजनात्मक और कलात्मक कार्य के लिये अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करता है। वे खाली समय को बुद्धिमता से उपयोग करने का उपाय है।

(क) भिन्न-भिन्न प्रकार की रुचि—यद्यपि शहरों में कुछ सीमा तक रुचि के विकास के लिये अवसर मिल जाते हैं तथापि ग्रामों में उनका अभाव है। ऐसी रुचि जो ग्रामीण जीवन के उपयुक्त हों विचारनी होगी और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा।

पाक-शाला के लिए वस्तुएँ उत्पन्न करना, उनका संग्रह करना, भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधों को लगाना, मधु-मक्खी पालन, मुर्गी पालना, लकड़ी को सुन्दर नमूने में काटना, लकड़ी पर नमूने आंकना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मर्ति कला, वाद्य, संगीत, मिट्टी के बर्तनों को रंगना, गुड़िया बनाना, पालतू जानवर रखना, मछली पकड़ना, इत्यादि कुछ ऐसी रुचियाँ हैं जो देहातों के लिये उपयुक्त होगी।

(ख) मकान सजाना, फर्श सजाना इत्यादि :—

सांस्कृतिक कार्य-कलाप की दृष्टि से मकान और फर्श सजाने की कला में बहुत सम्भाव्यता है। विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार के ढंग प्रचलित हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक प्रदेश में सजाने का अपना ही ढंग है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में इस अभ्यास का लोप होता जा रहा है। उसकी पुनर्जागृति का प्रयास आवश्यक है। जहां ये कला वर्तमान है वहां इन्हें प्रोत्साहन तथा विकास की आवश्यकता है।

ऐसी भिन्न कलाओं का संकलन, उनकी प्रविधि, पदार्थ तथा उसके रूप व डिज़ाइन की जानकारी अत्यन्त सहायक होगी। इनकी प्रतियोगिता का प्रबन्ध उनके विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायक होगा। उनके ज्ञान के प्रचार के लिए चल-चित्र जैसे चाक्षुष सहायक को रखा जा सकता है।

फर्श सजाने की कुछ कुछ विधियां जिन्हें रंगोली, अल्पना, मोगू और कोलम कहते हैं कुछ ऐसे देहातों में प्रचलित करने योग्य है जहां उनका प्रचार न हो।

(ग) कला और शिल्प :—

कुछ कला और शिल्प का अभ्यास व्यक्तिगत रुचि के लिए किया जा सकता है या समहों औद्योगिक सांस्कृतिक कार्य-कलाप के रूप में जिससे कि वो अपने बेकार समय का कुछ लाभ उठा सकें।

वाद्य-वृन्द, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्र खींचना, चित्रों में रंग भरना, सूत कातना, बांस का और सरकण्डे का काम, मिट्टी के वर्तनों पर रंग करना गुड़िया बनाना ये कुछ विशेष कला और शिल्प हैं।

३. वर्तमान परम्परागत मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप की जागृति और सुधार की समस्याएँ

(क) वर्तमान परम्परागत मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप का निरीक्षण और उनकी वर्तमान दशा

कुछ परम्परागत मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्य-कलापों के निरीक्षण और उनकी वर्तमान दशा से जानकारी की भी चेष्टा की गई थी। सामूहिक

विचार था कि विशेषज्ञ द्वारा वर्तमान तथा लुप्त मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्य-कलापों को जानने के लिये सारे देश का निरीक्षण होना चाहिये। यह काम योग्य अधिकारियों के आधीन होना चाहिये।

इन परम्परागत कार्य-कलापों में से कुछ नष्ट और लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ स्थिरता की अवस्था में है और कुछ का पतन हो गया है।

जीवन की परिस्थितियाँ और दृष्टिकोण और अन्य-अन्य सस्ते व्यावसायिक मनोरंजन ही उनके नाश का मुख्य कारण हैं। उनमें रुचि न होना, सहायता न मिलना, अथवा सहायता अविलम्ब प्राप्त न होना, तथा इन कार्य-कलापों को चालू रखने के हेतु उचित प्रबन्ध का अभाव भी इनके लोप के दूसरे कारण हैं। इस लोप का वास्तविक कारण मूल उद्देश्य और प्रेरक शक्ति का लोप हो जाना है।

फिर भी यह सन्तोष की बात है कि विशेष परम्परागत सांस्कृतिक कार्य कलाप जैसे भरत-नाटचम कत्थक कलि, और मनिपुरी का पुनरुत्थान हो गया और वे प्रचलित हो गये हैं, उनकी कलात्मक महत्ता में भी वृद्धि हो गई है। स्वतन्त्रता के पश्चात जनता और देश दोनों के प्रयास में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप ऐसे कई कार्य-कलापों की जागृति हुई। इन में लोक नृत्य भी हैं।

(ख) पुनरुत्थान सुधार और नई पद्धति के मार्ग दर्शक सिद्धान्त

पुनरुत्थान सुधार तथा नई पद्धति चलाने से पहले यह आवश्यक है कि पुरातन स्वरूप का समुदाय के सांस्कृतिक संस्थान से क्या सम्बन्ध है यह भली भांति समझ लिया जाये। साधारणतया परिवर्तन को कोई पसन्द नहीं करता और इसकी चेष्टा करने से पहले कार्य-कर्त्ता को जनता का विश्वास और भरोसा प्राप्त होना चाहिये। परिवर्तन और सुधार की इच्छा स्वयं जनता की ओर से आनी चाहिये। कार्य-कर्त्ता को परिवर्तन लाने के लिये सुधारक की भांति कार्य करना चाहिये। पुनरुत्थान की चेष्टा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मूल महत्व और मूल का लोप न हो जाये।

सुधार और नई पद्धति चलाने का कारण यह है कि पुरातन कार्य-कलाप आज की परिस्थितियों के अनुकूल व अपेक्षाकृत अधिक शिक्षाप्रद हो जायँ। उनमें नई-नई चीजें होनी चाहिये जो देश के चरित्र-निर्माण में सार्वलौकिक आदर्श बनाने में और सामाजिक समानता लाने में सहायक हों।

ऐसे पुरातन कार्य-कलापों को पुनरुज्जीवित करने की उच्च स्तर पर चेष्टा करनी चाहिए जो अखिल भारत के लिये महत्वपूर्ण हो कार्यकर्ता को इन कार्य कलापों का ध्यान से निरीक्षण व अध्ययन करना चाहिये और ऐच्छिक व सरकारी संस्था को परामर्श देने चाहिये कि उनके पुनरुत्थान और प्रोत्साहन के लिये क्या चेष्टा करनी चाहिये। उसे ऐसे पुरातन कार्य के लिये जो महत्व रखते हों उनके पुनरुत्थान, सुधार और नवीन पद्धति चलाने की चेष्टा में विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी चाहिये। ऐसे साधारण रूप जो केवल छोटे वृत्तों तक ही सीमित हों, स्थानीय प्रयत्न द्वारा रक्षित किये जा सकते है।

(ग) वर्तमान रूप की रक्षा-हेतु आवश्यक प्रयत्न

इन कार्य-कलापों के लिये राज्य को भी अपनी ओर से सहायता प्रदान करनी चाहिये। इन कार्यों की रक्षा करने और उन्हें उत्साह दिलाने के लिये केन्द्रीय और राज्य की ओर से एकेडेमी खोलनी चाहिये। प्रतिभा-शाली व्यक्तियों को मान-सम्मान भी देना चाहिये। इन कार्य-कलापों की पद्धति और कला को सीखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण संस्थायें भी खोलनी चाहिये।

ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि चल-चित्र, छाया चित्र, रेकार्ड किया हुआ संगीत और इन कार्यकलापों से सम्बन्धित दूसरे समाचार जनता को प्राप्त हो सकें। ऐसा साहित्य भी उपलब्ध होना चाहिये जो जनमत को उनके पक्ष में ला सकें।

शिक्षा-संस्थाओं को चाहिये कि वे इन कार्यकलापों के उपयुक्त रूप को अपने पाठ्य-क्रम से आरम्भ कर दें। बालकों और प्रौढ़ों को आवश्यक शिल्प की शिक्षा देनी चाहिये। विद्यार्थियों को इन कार्य-कलापों की सांस्कृतिक महत्ता भी समझाने का प्रयत्न करना चाहिये।

यह आवश्यक है कि समाज-शिक्षा कार्य-कर्त्ता भी इन कार्य-कलापों की शिक्षा लें, विशेषतया लोक-कला की। क्योंकि उनकी कला बहुत सरल होती है और इसमें अधिक पैसे और उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती।

ऐसे प्रशिक्षित कलाकारों का एक दल संगठन करना चाहिये जो कि इधर-उधर आ जा सकें और जनता में रुचि उत्पन्न कर सकें। उनकी पसन्द

का स्तर ऊँचा उठा सके। इस दल को चाहिये कि स्थानीय जनता को भी प्रशिक्षित करें।

इन कार्य-कलापों का सामाजिक स्तर ऊँचा करने के लिये यह आवश्यक है कि स्त्रियाँ भी इन कला प्रदर्शन में भाग लिया करें।

४. यन्त्रों की सहायता से चलने वाले मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्य-कलाप

(१) (क) फिल्म-प्रदर्शन चित्र दर्शक द्वारा।

(ख) मैजिक लालटेन द्वारा स्लाइड।

(ग) फिल्म रील व फिल्म रील चित्र दर्शक।

(घ) एपिडियोस्कोप द्वारा चित्र दर्शक वस्तुये।

(ङ) ग्रामोफोन रेकॉर्ड, वायर रेकॉर्ड।

(च) आकाशवाणी।

उपरोक्त यन्त्र जनता के मनोरंजक व सांस्कृतिक प्रोग्रामों में सहायक हैं। और भी यन्त्र प्रस्तुत किये और प्रयोग में लाये जा सकते हैं। जैसे "काशी-देखो," व्यू मास्टर और जिसे सैर-बीन भी कहते हैं। यह सरल और सस्ते होते हैं। देहातों में ये बच्चे और प्रौढ़ सभी को आकृष्ट करते हैं। समाज-शिक्षा में इन यन्त्रों का उपयोग क्रमशः बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जनता को एकत्र करने से भी यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुये हैं। इससे उन्हें भिन्न-भिन्न विषयों पर नवीन विचार तथा समाचार सुनाये जा सकते हैं।

(२) समाज-शिक्षा में उपरोक्त कार्य-कलापों का महत्व

समाज-शिक्षा के कार्य-कलापों के महत्व का अनुमान करने के हेतु कई बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है जैसे इसका मूल्य, सरलता, उपयोगिता तथा जनता के पास पहुँचने की तथा उन्हें आकृष्ट करने की इन की तयोग

यन्त्रों की सहायता लेने में कुछ लाभ हैं क्योंकि इससे प्रबन्ध-कर्ता को कार्य क्रम की तैयारी और उनके लिये अभ्यास करने में अपनी शक्ति लगानी पड़ती है। इसके लिये दैनिक अभ्यास ही पर्याप्त है। समाचार बतलाने के कार्य

का मूल्य अधिक है और इस कार्य-क्रम को बार-बार दोहराया भी जा सकता है जिससे कि उसका प्रभाव अधिक समय तक स्थाई हो सके। यह सार्वजनिक और सामूहिक सम्पर्क कराने के हेतु बहुत लाभकारी सिद्ध हुये हैं क्योंकि वे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं।

इनकी हानियाँ और सीमायें ये हैं कि समुदाय दर्शक रहता है और अकर्मण्य भी। समुदाय के वास्तविक जीवन से प्रदर्शित बातों में कोई समानता नहीं होती। उदाहरणार्थ डाक्युमैन्टरी चित्र और समाचार चलचित्र जनता के काल्पनिक उड़ान के योग्य नहीं होते। प्रदर्शित विषय और बातों का जनता के वातावरण और समस्या के साथ कोई सम्पर्क नहीं होता।

इन यन्त्रों की सहायता का आधार अत्यन्त सीमित भी है क्योंकि देहातों में विद्युत शक्ति उपलब्ध नहीं है। चित्र दर्शक जैसे यन्त्र बहुत मूल्यवान होते हैं। परिवहन सुविधायें व प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव के कारण इनको व्यवहार में लाने में एक और कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यह भी सम्भव है कि यन्त्रों की सहायता के ऊपर बहुत अधिक निर्भर रहने से समाज शिक्षा का मुख्य-उद्देश्य ही असफल हो जाय। उदाहरण के लिये समुदाय और समूहों में परस्पर सामाजिक सम्बन्ध। इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है और जनता के परम्परा गत सांस्कृतिक कार्य-कलापों को यह अवनति के गर्त में भी डाल सकता है।

फिल्म प्रदर्शन चित्रदर्शक द्वारा :—

समाज-शिक्षा के हेतु ये अत्यन्त आकृष्ट तथा उपयोगी सिद्ध हुये हैं। फिर भी माध्यम की उन्नति इस बात पर निर्भर है कि इसके लिये उपयुक्त चल-चित्र भी उपलब्ध हैं या नहीं। अच्छी फिल्में वही हैं जो जनता के वास्तविक जीवन समस्याओं से सम्बन्ध रखती हों। रिकार्ड करी हुई टिप्पणी की भाषा भी सरल और सहज ही समझ में आने वाली होनी चाहिये। भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक प्रकार के चल-चित्र उपलब्ध होने चाहिये जिससे अवसर के अनुसार उनका उचित चुनाव भी किया जा सके।

निम्न लिखित ऐसे विषय हैं जिन में देहाती दर्शकों को नैसर्गिक अभिरुचि रहती है समाचार, पर्व, हास्य, नाटक, प्राकृतिक दृश्य, कला, शिल्प, तीर्थयात्रा,

सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से सम्बन्धित कथायें । इन विषयों पर छोटी छोटी फिल्में भी बनाई जाती है या ऐसी लम्बी फिल्म हो जिसमें सारे पहलू एक कथा के रूप में गुथे हुये हों । शिक्षा के उद्देश्य के लिये यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, नालियों की सफाई, शारीरिक कार्य-कलाप, खेल कूद, क्रीड़ा, सामुदायिक जीवन, युवा संगठन, ग्राम-समितियां, सहकारी संस्थायें, स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याणकारी कार्य-कलाप, कृषि के संशोधित ढंग इत्यादि पर चित्र हों, ऐसी फिल्में बनाना आवश्यक है कि जो यह दिखाती हों कि उपरोक्त क्षेत्रों में अन्य देशों में क्या कुछ हो रहा है।

उचित चल-चित्रों के उत्पादन को मान्यता देनी चाहिये । सरकारी प्रतिनिधि और इन्डियन एडल्ट एजुकेशन ऐसोसियेशन जैसे ऐच्छिक संस्थाओं को इनके निर्माण का प्रयास करना चाहिये । तथा निजी निर्माताओं को भी परामर्श देकर इस कार्य में सहायता करनी चाहिये ।

मैजिक लालटैन द्वारा स्लाइड दिखाना :—

फिल्म स्ट्रिप और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का प्रयोग जैसे पहले कहा जा चुका है ये वस्तुयें छोटे समूहों के ऊपर अधिक प्रभावशाली होती है । इनकी सहायता से समस्याओं के ऊपर वाद-विवाद सरल व रोचक हो जाता है परन्तु मनोरंजन और मनो-विनोद के हेतु वे उतनी लाभकारी नहीं है ।

स्लाइड सस्ती पड़ती है व बनाने में भी सरल होती है । विशेष स्थानीय समस्याओं पर उनसे सम्बन्धित सैट तैयार किये जा सकते हैं । मैजिक लालटेन का उपयोग पर्याप्त नहीं है क्योंकि अच्छे स्लाइड के सैट बाजार में बहुत कम मिलते हैं । फिर भी यदि कार्य-कर्ता इन्हें स्वयं तैयार करना सीख लें तो इन्हें अधिकाधिक रूप से व्यवहार में ला सकते हैं ।

फिल्म-स्ट्रिप शिक्षा सम्बन्धी कार्य के हेतु उपयुक्त है और स्लाइड की अपेक्षा उनकी संभाल भी सरल है ।

यह आवश्यक है कि टिप्पणी की तैयारी विचार पूर्ण हों और बोलने वाले में उसे रोचक ढंग से दोहराने बतलाने की भी योग्यता हो ।

एपीडियोस्कोप द्वारा चित्र दिखाना :—

एपीडियोस्कोप पर कम लागत आती है क्योंकि इसके द्वारा कोई भी मुद्रित सामग्री तथा वस्तुयें दिखाई जा सकती हैं । फिर भी इसका व्यवहार केवल उन्हीं स्थानों तक सीमित है जहां विद्युत शक्ति उपलब्ध है ।

ग्रामोफोन रेकॉर्ड और वायर रेकॉर्डर :—

ये दूसरे सहायकों के साथ परिशिष्ट की भाँति उपयोग में लाये जा सकते हैं। ग्रामोफोन रेकॉर्ड श्रोताओं की बहुत बड़ी संख्या आकृष्ट करने में सहायक हो सकते हैं। प्रचलित फिल्मी गानों का उपयोग उचित नहीं है। उचित चुनाव किये हुये रेकॉर्ड के प्रयोग से संगीत के लिये अच्छी रुचि उत्पन्न करनी चाहिये। रेकार्ड भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिये जैसे शास्त्रीय और हल्के फुल्के गानों के वाद्य-संगीत, हास्य-गान तथा राष्ट्रीय गान व नृत्य की धुनो के। जनता को एक प्रामाणिक रेकॉर्ड के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय गान को गाने का ठीक ठीक ढंग भी सिखाया जा सकता है। महाकाव्यों में से लिये हुये नाटक और कथायें जो रेकॉर्ड हुई है अन्याधिक प्रिय सिद्ध हुई है। फिर भी समाज-शिक्षा के उद्देश्य के लिये विशेष गीतों के रचना की आवश्यकता रह ही जाती है।

यद्यपि वायर-रेकॉर्डर को समाज शिक्षा में बहुत कम व्यवहार में लाया जाता है तथापि इससे मनोरंजन व संस्कृति के कामों में उपयोगी सहायक होने की सम्भावना है।

देहातियों के कार्य-क्रम को रेकॉर्ड करके और फिर उन्हीं को सुनाने से उनका बहुत रुचि उत्पन्न होती है। परन्तु इसके अधिक मूल्यवान होने के कारण इसका प्रयोग अभी बहुत सीमित है।

आकाशवाणी :—

आकाश-वाणी मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा और सांस्कृतिक उद्देश्य के हेतु अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई है।

देहाती कार्यक्रम, महिलाओं और बच्चों के कार्य-क्रम तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य-क्रमों ने जनता की दिलचस्पी कल्पना की ओर खेंची। इसके लिए यह उचित होगा कि जहाँ भी समाज शिक्षा केन्द्र हों वहीं उनके सुनने के लिए एक सामुदायिक सैट दे दिया जाय।

देहातियों को चाहिए कि वे न केवल कार्य-क्रम को सुनें अपितु कार्य-क्रम को प्रस्तुत और प्रसारित भी करें। देहातों में जाकर कार्यक्रम को रेकॉर्ड करने का और भी अधिक प्रयत्न करें। समाज-शिक्षा कार्य-कर्ताओं को चाहिए कि वे देहातियों तथा आकाशवाणी के बीच मध्यस्थ का कार्य करें तथा आकाश वाणी वालों को उपयुक्त कार्य-क्रम बनाने में सहायता दे।

आकाशवाणी शिक्षा का कार्य कर सके इसके लिए आवश्यक हैं कि देहातों में श्रोताओं के समूहों का निर्माण किया जाए। उसी प्रकार समुदाय की रुचि जिस प्रकार बढ़े, प्रयत्न किया जाना चाहिए।

अनुभव बताता है कि समुदाय के स्वचालित रेडियो सैट उतने प्रचलित नहीं हैं क्योंकि उसके प्रबन्ध में भी उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता और न ही वे कार्य-क्रम का चुनाव कर सकते हैं।

(३) उपर्युक्त कार्यों को प्रभावोत्पादक बनाने के हेतु आवश्यक परिशिष्ट काम तथा योग्यता

यथोचित स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चुना हुआ स्थान मध्य में स्थित है तो निकटवर्ती ग्रामों की जनता वहां के कार्य-क्रम में सम्मिलित हो सकती है।

व्यक्तियों के समूह तथा समुदाय के साथ पृथक भेंट कर कार्य-क्रम की पहले से ही घोषणा कर देनी चाहिये। एक बार कार्य-क्रम की घोषणा हो जाए तो निश्चित तिथि को उसके समयानुसार आरम्भ करने का प्रयास करना चाहिये। जहां तक सम्भव हो सके समय, तिथि तथा स्थान में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि परिवर्तन अनिवार्य है तो दोबारा उसकी घोषणा करने का ध्यान रखना चाहिए। यदि कार्यकर्ता घोषणा के अनुसार कार्य-क्रम प्रस्तुत करने में सफल न होवे तो इससे कार्य-कर्त्ता तथा जिस संस्था का वह प्रतिनिधि है दोनों ही की बदनामी होती है।

कार्य-क्रम के लिए सब प्रकार के प्रबन्धों में सामुदायिक सदस्यों का हाथ होना आवश्यक है। इससे जनता में रुचि तथा प्रबन्ध करने की योग्यता उत्पन्न होती है। समुदाय से निवेदन करना चाहिये कि वे बैठने की व्यवस्था करने के लिए और कार्य-क्रम के समय शान्ति स्थापना के लिए स्वयंसेवक दें।

कार्य-कर्त्ता को चाहिए कि यन्त्रकला के कार्य-क्रम की न्यूनता पूर्ति के लिये कुछ और कार्य-क्रम जैसे नाटक, लोक-गीत व सामुदायिक गीत तैयार रखें जिससे यदि तत्क्षण मशीन में कुछ खराबी हो जाए तो दर्शकों को व्यस्त रखा जा सकें।

जनता में उत्साह तथा रुचि उत्पन्न करने के लिये फिल्म का शीर्षक तथा विषय पहले से ही घोषित कर देना चाहिये। प्रतिनिधि सदस्यों से जनता

की प्रतिक्रिया का भी ज्ञान कर लेना चाहिये। यह जानने का प्रयास भी होना चाहिये कि उस फिल्म का उद्देश्य वे कहाँ तक समझें।

जो फिल्म दिखाई जाए उस पर सामूहिक वाद-विवाद का प्रबन्ध करना भी आवश्यक है। उदाहरणार्थ, कृषि के संशोधित ढंग, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वच्छता इत्यादि। फिल्म प्रदर्शन के पश्चात् बातचीत भी हो सकती है। पर्चों तथा लघु पुस्तकों का भी वितरण किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय या सूचना व प्रसार मंत्रालय को चाहिए कि ऐसे फिल्मों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करें जो समाज शिक्षा के योग्य हो। विषयानुसार उस सूची को तैयार किया जाये और उनके साथ फिल्मों का सार भी दे जिससे चुनाव करने में सहायता प्राप्त हो।

प्रादेशिक सरकार के लिये आवश्यक है कि वो एक ऐसी संस्था का निर्माण करे जो स्थानीय रुचि व हित के अनुसार स्थानीय भाषा में फिल्मों का उत्पादन करें। फिल्में सारी प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। अतएव कार्य-कर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह स्थानीय भाषा में साथ-साथ टिप्पणी करता जाय। कार्यकर्ता में रोचक टिप्पणी प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिये। उद्देश्यात्मक फिल्मों का दोबारा प्रदर्शन किया जा सकता है जिससे कि उसके विषय के सम्बन्ध में उन्हें भली भाँति समझ में आ जाये। विशेषज्ञों को भी प्रसंग पर वार्ता देने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है।

यह उचित होगा कि फिल्म के बीच में देहाती कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन का छोटा सा कार्य-क्रम भी रखा जाये।

कभी कभी यह भी आवश्यक हो सकता है कि फिल्म को आरम्भ करने से पहले उनके सम्बन्ध में कुछ समझा दिया जाये विशेषतया अन्य देशों तथा विदेशियों के बारे में फिल्म का प्रदर्शन करते समय।

प्रबन्ध कर्ता को फिल्मों का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे चाहिये कि फिल्म के सम्बन्ध में दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहे। मशीन किस तरह काम करती है इसका उसे थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिये जिससे छोटी छोटी खराबियाँ तत्क्षण ठीक की जा सकें।

५. योजना की समस्यायें

(१) सरकारी प्रतिनिधियों का कार्य—क्या सरकार को अपने मनोरंजक तथा सांस्कृतिक दल बनाने चाहिये ? उनका क्या ढाँचा होना चाहिये ?

सरकार को चाहिये कि मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कामों के हेतु एक केन्द्रीय संगठन निर्माण करे, जिससे कि ऐच्छिक संस्थाएँ उस आदर्श को देख कर प्रोत्साहन तथा प्रेरणा प्राप्त करें। सरकार की नीति होनी चाहिये कि केन्द्रीय संगठन इस कार्य को ऐच्छिक संस्थाओं को ही धीरे-धीरे सौंप दे।

प्रशिक्षण संस्थायें खोलना, फिल्मों का उत्पादन, साहित्य निकालना, समुदाय को रेडियो सैट देना आदि काम सरकारी संस्थाओं के हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त स्थान, मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्य-कलापों की व्यवस्था के हेतु प्रमाणिक उपकरण और योग्य शिक्षक होने चाहिये।

प्रादेशिक सरकार को चाहिये कि मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्य-कलाप की व्यवस्था के लिये परामर्श देने के हेतु शिक्षकों, समाज सेवकों और कलाकारों की एक समिति निर्माण करें। यदि समाज शिक्षा का स्वतन्त्र विभाग है तो ऐसी समिति को उसकी परामर्श समिति बन जाना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्य-कलापों की एकेडैमी स्थापित करने का उत्तर दायित्व भी ले सकती है। उन्हें साहित्य निकालने का भार लेना चाहिये तथा प्रादेशिक सरकार और ऐच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी दिलानी चाहिये।

प्रादेशिक सरकार को ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त करने का उत्तर दायित्व ले लेना चाहिये कि जो उस क्षेत्र में प्रचलित सब परम्परागत मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्य कलापों का निरीक्षण करें। उसका कार्य प्रतिवेदन जनता को उपलब्ध होना चाहिये कि वो ऐच्छिक संस्थाओं तथा सांस्कृतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान करें जिससे कि अपना कार्य करने में समर्थ हो सके। इन कार्य-कलापों का काम संभालने के लिये समाज-शिक्षा का एक प्रशासन यन्त्र भी होना चाहिये एक जिला समाज सेवा का अफसर नियुक्त किया जा सकता है। और विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति का भी निर्माण होना चाहिये जो उसे परामर्श दें।

सारांश यह है कि सरकारी प्रतिनिधियों का प्रधान काय है कि इन कार्य-कलापों के प्रचार को आरम्भ करें और धीरे-धीरे ऐच्छिक संगठनों को इन कार्यों को संभालने योग्य भी बनाये।

क्या सरकार को अपने मनोरंजक या सांस्कृतिक दल बनाने चाहिये ?

इस प्रश्न पर सबके मत भिन्न-भिन्न थे। एक दल सरकारी देख-रेख के पक्ष में था जबकि दूसरे का विचार था कि यह कार्य ऐच्छिक संगठनों के ऊपर छोड़ देना चाहिये। उपरोक्त दल के विचार से सरकारी मनोरंजक व सांस्कृतिक दल शीघ्र ही मशीनवुमा तथा परिवर्तनहीन बन सकते हैं जैसा कि वैतनिक कर्मचारी जो कि बहुत शीघ्र अपना ही काम से अपना आन्तरिक उत्साह और जोश खो बैठते हैं। संगठन की लालफीतेशाही से हानि होती है और कभी-कभी तो समय पर काम का आरम्भ भी नहीं होने पाता। वैसे भी सरकारी संस्कृतिक दल की प्रवृत्ति प्रचारक दल का यन्त्र बन जाने की होती है और उसके द्वारा समाज-शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य लुप्त हो जाते हैं।

दूसरे दल का विचार था कि सरकार की देख रेख में मनोरंजक व सांस्कृतिक दल ठीक कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन व धन होता है। काम करने वाले भी अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी पक्की होने का विश्वास होता है। इस बात पर सभी लोग सहमत थे कि सरकार ऐसे मनोरंजक व सांस्कृतिक दल बनाये जो इन कार्य-कलापों में रुचि जगा सकें और देहातियों के लिये आदर्श बन सकें।

(२) शिक्षा-संस्थाओं और ऐच्छिक संस्थाओं का भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य

इस विशाल निरक्षर व अर्ध-साक्षर देश में मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से समाज शिक्षा का प्रचार इतना आवश्यक, इतना महत्वपूर्ण, इतने प्रकार का हो गया है कि सरकारी व ग़ैर-सरकारी सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास इसके लिये आवश्यक है। इस उद्देश्य के हेतु केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्वेच्छिक संगठन, शिक्षा संस्थाये और उदार व्यक्तियों के सभी साधनों को उद्देश्यपूर्ति के लिये एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है। इसमें प्रत्येक के लिये करने को यथेष्ट कार्य है और उसको करने के लिये क्षेत्र भी है। सरकार को चाहिये कि स्वेच्छागत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान

करे और स्वेच्छागत संगठनों को चाहिये कि सरकार को योग्य व अपनी इच्छा से काम करने वाले कार्यकर्ता दें।

बहुत सम्भव है कि स्वेच्छिक संस्थाएँ सामग्री प्रदान करें क्योंकि जनता के अपने साधन अधिक प्रभाव शाली होते हैं। आगे चल कर भी तो समुदाय को स्वयं ही मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य-कलापों की व्यवस्था करनी होगी।

देहातों में और तहसील या सारे जिले के लिये ऐसे कार्य-कलापों की व्यवस्था करने के लिये स्वेच्छिक प्रतिनिधि होने चाहिये। जन-जाति या अनुन्नत वर्गों और नागरिक जनता के लिये भी विशेष संस्थाओं की आवश्यकता है।

इन का कार्य यह है कि वे देहातियों के स्तर तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सरल मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्य-कलापों की व्यवस्था करें।

तहसील, तालुका या जिला स्तर की संस्थाओं का कार्य यह है कि वे देहाती संस्थाओं को प्रशिक्षण तथा उपकरण के सम्बन्ध में सहायता दें। उन्हें स्वयं भी भिन्न-भिन्न रूप से उच्चतर मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य-कलाप प्रदान करने चाहिए। कार्य-क्रम का आदान-प्रदान चलता रहना चाहिए। एक ग्राम वासियों को दूसरे ग्राम में तथा एक क्षेत्र वासियों को दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए।

अधिक ऊँचे स्तर की संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए और अपनी सीमा में इन कार्य-कलापों की व्यवस्था के लिए उन्हें चन्दा भी एकत्र करना चाहिए।

शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का कार्य, विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न कार्य-कलापों में प्रशिक्षण देना है। और विद्यार्थी और अध्यापकों के दलों का संगठन करना है ताकि वे नगर और ग्रामों में इन कार्य-कलापों के प्रदर्शन कर सकें। वे अपने आपको प्रत्येक कार्य-कलाप के लिए उचित सामग्री जुटाने में व्यस्त रख सकते हैं। प्रशिक्षण कॉलिज और विश्व-विद्यालय निरीक्षण और अन्वेषण का कार्य हाथ में ले सकते हैं।

पाठशालाओं द्वारा व्यवस्थित सांस्कृतिक दल न केवल विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं बल्कि नगर और ग्रामों में समुदाय को मनोरंजन प्रदान करने के महान् उद्देश्य में भी सफल हुए हैं।

(३) नगर व देहातों में जनता के संगठन की आवश्यकता, मार्ग व साधन

विशाल कार्य क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के संगठन की आवश्यकता और भी स्पष्ट प्रतीत होती है। ऐसे संगठनों के निर्माण के लिए व्यवस्थित प्रयत्न की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सामुदायिक संगठन के कार्य को प्रोत्साहन देना समाज शिक्षा का एक मुख्य पहलू है, अतएव इस कार्य को क्षेत्र के कार्य-कर्त्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए।

वर्तमान संस्थाएँ जैसे ग्राम पंचायत, सामुदायिक योजना, राष्ट्रीय विकास सेवा, पुस्तकालय, ग्राम विकास समिति, प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र, और युवा क्लबों को चाहिए कि वे जनता का संगठन व विकास करायें।

यह संगठन सरकार व जनता द्वारा आवश्यक उपकरण व आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से प्रोत्साहित होते हैं।

इस में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का एक केन्द्र बनाना होगा फिर उन्हें ऐसी आवश्यक सहायता जैसे उपकरण यन्त्र लिखित सामग्री आदि प्रदान करके व उचित परामर्श दे कर उन्हें एक स्थाई आधार भी दिया जा सकता है।

भिन्न-भिन्न संस्थाओं और संगठनों में सहयोग की आवश्यकता को दृष्टि में रखना चाहिए ताकि एक ही प्रकार के कामों को बार-बार दोहराने में शक्ति का व्यर्थ व्यय न हो। सहयोग की आवश्यकता उच्च तथा निम्न दोनों ही स्तरों पर है। अर्थात् ग्राम में भी और संचालकों में भी।

(४) स्थानीय कलाकारों को खोजना तथा उनकी सेवाओं से लाभ उठाना

कार्य-कर्त्ता को स्थानीय कलाकारों को खोज निकालने के काम पर अपनी दृष्टि रखनी पड़ती है। सामुदायिक जीवन में मेले तमाशों में तथा पर्व व उनकी सभा में भाग लेने से वह योग्य व्यक्तियों को खोजने में सफल हो सकेगा।

प्रतियोगिताओं के आयोजन से भी उसे गुणी व्यक्तियों का पता चल सकता है। एक बार ऐसे कलाकारों के मिल जाने पर आरम्भ में उनका प्रयोग

स्थानीय कार्य-क्रम से करें, तत्पश्चात दूसरों को प्रोत्साहन प्रदान करने से होता है। गुणी आदमियों को आस-पास के ग्रामों में तथा अन्य क्षेत्रों में अपने गुणों को प्रदर्शित करने के लिए भी उत्साहित करना चाहिए। उन्हें उचित परितोषिक भी देना चाहिए।

६. साधन और उपकरण

(१) हर प्रकार के मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्य-कलाप के लिये आवश्यक साधन व उपकरण।

साधारण नियमानुसार कार्यकर्त्ता अथवा प्रबन्धकर्त्ता को यह ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसे साधन या उपकरण जो सुगमता से प्राप्य न हो या जो बहुत भारी हो उनको पाने के प्रयास पर जोर न दे। यदि यन्त्र अति विशाल है तो उद्देश्य की अपेक्षा उस साधन पर ही ध्यान लग जाता है तथा कार्य-क्रम कृत्रिम और भद्दे हो जाते हैं। प्रयास होना चाहिये कि साधारणतम उपकरण से ही उत्तम प्रभाव पड़े।

जहाँ तक सम्भव हो उपकरण पर अधिक व्यय भी नहीं होना चाहिये। उपकरण स्थानीय होने चाहिये तथा उसे बनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

भजन, लोक-गीत, लोक-नृत्य जैसे साधारण ढंग के मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य-कलाप के लिये साधारण वाद्य-यन्त्र जो उस क्षेत्र में प्रचलित हों हर देहात में उपलब्ध होते हैं। ये हैं जैसे तार वाले बाजे, ढोल, बांसुरी, मंजरी इत्यादि इत्यादि।

शारीरिक कल्याणकारी कार्य-कलापों के लिये खेलने का मैदान तथा लेजिम कोल या टीपरी नृत्य में काम आने वाले लकड़ी जैसी सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिये। हॉकी स्टिक, वॉली वॉल और फुट-वॉल भी मिलना चाहिये।

घर के भीतर खेलने के लिये चौपड़, शतरंज और कैरम बोर्ड और सांप और सीढ़ी जैसे खेलों की व्यवस्था करनी होगी।

सभी कार्यों के लिये प्रकास का प्रबन्ध तथा कुछ मेज कुर्सी व दरियां आदि आवश्यक होती हैं। शारीरिक क्रियाओं के विकास की उचित अवस्था में व्यायाम सम्बन्धी साधन भी देने होंगे।

सामुदायिक केन्द्र तथा पुस्तकालय के लिये पोस्टर, चार्ट, पुस्तकें, पत्रिकायें तथा समाचार पत्रों की भी व्यवस्था करनी आवश्यक है।

नाटक जैसे प्रगति शील कार्य के लिये आवश्यक है कि कोई ऐसी संस्था हो जो नाटच सामग्री उधार दे सकें जैसे पर्दे, वस्त्र, लैम्प, लाउडस्पीकर इत्यादि। यह संस्था जिला स्तर पर कार्य करने वाली होनी चाहिये।

मध्य प्रदेश का सामाजिक शिक्षा विभाग हर जिले में उसके सामाजिक शिक्षा अधिकारी के पास उक्त प्रकार की साधन सामग्री रखता है जिसका मूल्य ३००० रु० होता है। यह सामग्री देहातियों की मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-क्रमों के लिये बिना किसी शुल्क के दी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्य-कलापों को बहुत सहायता पहुँची है। दूसरे राज्यों को भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिये।

मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-कलाप की व्यवस्था में जनता में रुचि जागृति करने के विचार से इस सामग्री को बिना किराये के देना ही उचित होगा। जहाँ मूल्यवान सामग्री की आवश्यकता हो वहाँ उसी के अनुसार ग्रामीणों से चन्दा एकत्र कर लेना चाहिये। जिस संस्था को वह दी जाये उस के कार्य करने वालों को उसे ठीक रखने का उत्तरदायित्व भी सौंपना चाहिये। आगे चल कर सदस्यों को चाहिये कि वे सामग्री को ठीक तरह रखने, उसकी मरम्मत करने, या वर्तमान सामग्री को बदलने और उसे बढ़ाने के लिये चन्दा भी जमा किया करें।

स्थानीय वस्तुओं की सहायता से लोक-नाटक बहुत अच्छे किये जा सकते हैं।

यह वांछनीय है कि ग्रामों में मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्य-क्रमों के लिये ग्राम-पंचायतों के पास आवश्यक सामग्री रहे।

प्रादेशिक सरकार को चाहिये कि वे स्वेच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दें जिस से वे मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-कलाप के लिये आवश्यक सभी सामग्री एकत्र कर सकें।

यह भी आवश्यक है कि इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोसियेशन ऐसे हर कार्य-कलाप के लिये आवश्यक साधन सामग्री की विवरणात्मक सूचि तैयार करें

और वह स्थान बता सकें जहाँ से वह उधार या उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकती है।

(२) नाटच गृह, खुले नाटच गृह, चलता फिरता रंग-मंच और रंगमंच की सामग्री की व्यवस्था

मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-क्रम के प्रभावशाली संगठन को नागरिक क्षेत्र में नाटच-गृह प्राप्त न होने से बहुत अड़चने होती हैं वहाँ के सारे उपलब्ध नाटच गृहों को सिनेमा वाले ले लेते हैं। अतएव प्रादेशिक सरकार को चाहिये कि वह नगर पालिका को नाटच-गृह निर्माण में सहायता दें और उन्हें मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-कलाप के लिये बहुत कम या बिना किराये के ही दे दें। इन नाट्य-गृहों की अनुपस्थिति से वर्षा काल में ये कार्य-क्रम कार्यान्वित नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त खराब मौसम के कारण भी उन में बाधा पड़ती रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ तक सम्भव हो सके बिरादरी केन्द्र के मकान का निर्माण इस प्रकार होना चाहिये कि उसमें एक पर्याप्त विशाल हाल और एक रंगमंच हो जिससे सब ऋतुओं में कार्य चलता रहे।

इस सामुदायिक केन्द्र से लगा हुआ या किसी केन्द्रीय स्थान में एक खुला नाटच-गृह भी होना चाहिये। ऐसे खुले नाटच-गृह में दर्शक बहुत बड़ी संख्या में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा नाटच-गृह अच्छी ऋतु में और भी कई उद्देश्य पूरे कर सकता है।

गत वर्षों में, ग्रामीण समुदाय ऐसे दूसरे वातावरण वाले नाटचगृह के निर्माण के लिये प्रोत्साहित हुआ है कि जिस में मजदूरों ने स्वेच्छा से कार्य किया है सामग्री भी दान दी है। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिये कि सभी बड़े देहातों में ऐसे नाटच-गृहों का निर्माण हो जाय। इससे समाज शिक्षा के उद्देश्य की भी पूर्ति होती है क्योंकि उनसे लाभ की भावना आती है। फिर भी इस योजना के सम्बन्ध में देहातियों से विचार विनिमय कर लेना चाहिये तथा उनके परामर्श की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। छोटे ग्रामों में रंग-मंच का काम देने के लिये मिट्टी का ही एक उच्च मंच निर्माण कर लेना चाहिये।

चलता फिरता मंच :—

यदि सांस्कृतिक दलों को ग्राम ग्राम में जाना हो तो एक चलते फिरते मंच की आवश्यकता है। जब तक देहातों में नाटक की अन्य सुविधायें नहीं प्राप्त होती, तब तक यह मंच अच्छा कार्य करेगा। प्रत्येक तहसील (तालुके) में एक चलता-फिरता मंच होना चाहिये। यह मंच किसी हल्की लकड़ी के और ऐसे बने हों, कि जब चाहे उन्हें खोला या जोड़ा जा सके ताकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से ले जाया जा सके।

मंच सामग्री :—

जहाँ तक सम्भव हो मंच सामग्री अत्यन्त साधारण होनी चाहिये। पर्दे, रंगीन कपड़े के और वेशभूषा स्थानीय वस्तुओं की होनी चाहिये। विशेष चरित्र दिखाने के लिये कृत्रिम चेहरे व्यवहार में लाये जा सकते हैं। ग्रामो में लोक-नाटक प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक वस्तु उसी स्थान पर उपलब्ध हो सकती है। बिहार मोद-मण्डली देहातों में उपलब्ध साधारण वस्तुओं जैसे चारपाई, दरियां व चटाई तथा रस्सी की सहायता से ही मंच खड़ा कर लेते हैं। इससे मौलिकता तथा सृजनात्मक प्रवृति को प्रेरणा मिलती है। साधारण तम वस्तुओं से भी कलात्मक वस्तुएं तैयार तो की ही जा सकती है।

(३) कम मूल्य के उपकरण उत्पादन करना

यदि प्रामाणिक सामग्री को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाये तो इससे उसकी लागत कम हो जायेगी। परन्तु जो भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक ढांचे भारत में प्रचलित हैं उन पर इसका विरुद्ध प्रभाव पड़ेगा। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि स्थानीय शिल्पकारों को ही आवश्यक उपकरण बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

सहकारी समिति निर्माण से उसकी लागत कम की जा सकती है। मनोरंजनात्मक तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप के लिये आवश्यक सामग्री की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि-गोचर करते हुये, उस के उद्योग को एक सफल कुटीर उद्योग भी बनाया जा सकता है। जिले के समाज-शिक्षा कार्य-कर्त्ता को चाहिये कि वो ऐसे स्थानीय शिल्पकार के सम्बन्ध में खोज करे जो ऐसा उपकरण बना सके। ट्रावनकोर-कोचीन में शिल्पकारों को सामग्री देकर और

उन्हें परिश्रम के लिये पैसे देकर हारमोनियम बनवाने का प्रयोग किया गया। जो कि कम लागत के लिये बहुत सफल रहा।

विदेशी साज श्रंगार की सामग्री जो कि नाटक व नृत्य में काम आती है जहाँ तक हो सके कम ही व्यवहार करनी चाहिये। ऐसी वस्तुयें जिनमें जिंक ओक्साइड हो बिल्कुल व्यवहार नहीं करना चाहिये। क्योंकि त्वचा पर उसका हानिकार प्रभाव होता है। चेहरे को रंगने के लिये और साज की दूसरी सामग्री स्थानीय प्राप्त मिट्टी को रंग कर ही बना लेनी चाहिये। अत्याधिक बनठन की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन, स्लाइड तथा रेडियो सैट जैसे यान्त्रिक उपकरण बनाने के लिये भारतीय उत्पादक को ही तैयार करना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप लागत में कमी हो जायगी इस पर आयात कर नहीं देना पड़ेगा।

(४) नाटक, गान इत्यादि लिखने की प्रविधि ?

यद्यपि गान व नाटक लिखने की प्रविधि को विस्तार पूर्वक सूत्रित्व करना न तो सम्भव ही है और न ही वांछनीय है। तथापि यह कहा जा सकता है कि वास्तविक समस्याओं का चुनाव उसको मनोवैज्ञानिक ढंग पर लिखना, सरल भाषा, संक्षिप्त हास्य, उपहासपूर्ण लेख, तथा लोक संगीत का मिश्रण ही नाटक तथा गीत लिखने की प्रविधि के कुछ अंग हैं।

यह उचित है कि नाटक व गान लिखने की प्रविधि सीखने के हेतु प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में प्रशिक्षण के पाठ्य-क्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे युवक व युवतियाँ जिनमें नाटक लिखने व गीत रचने के गुण विद्यमान हैं उन्हें ऐसी संस्थाओं में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जाये जिससे वे उसकी प्रविधि सीख सकें। अनुसन्धान से प्राप्त होने वाली प्रविधि के आधार पर ही इन संस्थाओं को नाटक व गीत लिखने चाहिये। ऐसे लेखक व रचयिता जिन्होंने पहले से ही नाटक व गीत रच रखे हैं प्रोत्साहित किये जाने चाहिये। उन्हें उनके कार्य को मुद्रित करवाने के लिए उपहार तथा सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। लेखक व गीत रचने वालों को प्रेरणा देने के लिए प्रतियोगिता की व्यवस्था भी करनी चाहिये।

संगीत नाटक एकेडैमी को चाहिए कि वो नाटक और गान लिखवाने की समस्या को सम्भालें। लेखकों, गीत रचयिता तथा समाज शिक्षा कर्ताओं की एक समिति का निर्माण भी होना चाहिए जो परामर्श दे सके।

(५) नाटक, गोत इत्यादि के लिए नवीन विषय व कथानक प्रदान करना

जैसे जैसे मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-कलापों की व्यवस्था की उन्नति और उनका विस्तार होता जाएगा, नाटक और गीत इत्यादि के लिए नवीन विषय, प्रकरण, नवीन कथायें, और परिस्थितियों की माँग की भी वृद्धि होती जायेगी। सार्वजनिक जीवन की समस्याओं को मनुष्यों का रूप देकर रंगमंच पर विभिन्न पात्रों और चरित्रों के रूप में लाना होगा। इस विधि से कार्य पुनर्जीवित हो उठेगा और जीवन का वास्तविक दर्शन हो सकेगा।

समाज-शिक्षा कार्य-कर्ताओं को चाहिए कि वे सदा नवीन कथानक खोजते रहें तथा लेखकों व गान-रचयिता को बताते रहें। जनता की वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व आध्यात्मिक जीवन में विभिन्न प्रकार के नवीन विषय मिलते हैं। इसकी विधि यह है कि कुछ व्यक्तियों के समूह को एकत्र कर उन्हें वाद-विवाद के हेतु कोई समस्या दे दी जाए। इससे नवीन व रोचक विषय प्रकाश में आ सकते हैं। समूहों के एक या अधिक सदस्य नाटक व गान लिखने के लिए प्रोत्साहित किए जा सकते हैं। तब उसे प्रस्तुत किया जाए और समूह द्वारा उसके गुणों पर वाद-विवाद भी किया जाय। वाद-विवाद में नाटक के लिए स्वाभाविक व प्रभावशाली वार्तालाप प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सब स्तरों पर किए गए परस्पर वाद-विवाद के द्वारा विषय की खोज उसमें भाग लेने वालों के लिए बहुत शिक्षाप्रद हो जाती है। क्योंकि इससे सामाजिक चेतनता, विवेकपूर्ण विचार, आत्म निरीक्षण, आत्माभिव्यक्ति, सहयोग की भावना और संगठन की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। जनता भी उस नाटक को अपना ही मानेगी क्योंकि यह उनके जीवन और अनुभवों से ही निकली है। उसमें खेलने वाले चरित्रों व अभिनेताओं का अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे जनता के ही अपने अंग हैं।

दूसरी भाषाओं, क्षेत्रों और देशों के नाटक व गीतों के अनुवाद से भी नवीन कथानक मिल सकते हैं।

७. विभिन्न मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-कलापों में प्रशिक्षण

प्रशिक्षित की श्रेणी गुण व उनकी समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य-कलापों के प्रशिक्षण के भी भिन्न-भिन्न पहलू होंगे। प्रशिक्षण के लक्ष्य और प्रविधि भी भिन्न-भिन्न संस्थाओं में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

प्रशिक्षितों को प्रायः निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी जो इन कार्य कलापों से अभिरुचि के कारण भाग लेते हैं।

(ख) समाजशिक्षा कार्य-कर्ता व व्यवस्थापक जो इन कार्य-कलापों के संगठन के उत्तरदायित्व का भार लें।

(ग) व्यक्ति जो ग्रामीण व नागरिक समुदाय में इन कार्य-कलापों का केन्द्र बनेंगे।

प्रशिक्षण विधि के नये ढंग निकालने और उन्हें प्रयोग करने के लिये स्वतन्त्रता और स्थान होना चाहिए।

विभिन्न संस्थाओं को भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्य क्रम के सिलेबस को समाज शिक्षा कार्य कर्ता और विशेषज्ञों की सम्मिति द्वारा प्रारूप दिया जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला अनेक विषयों में से अपनी रुचि के आधार पर विशेष कार्य कलाप को भी चुन सकता है।

प्रशिक्षण का प्रयास यह होना चाहिए कि व्यक्ति को भी लाभ हो और समुदाय को भी।

(१) शिक्षात्मक संस्थाएं—

विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, जनता कॉलिज, विद्यापीठ, हाईस्कूल, बुनियादी और प्रारम्भिक स्कूलों को चाहिए कि वे सब अपने विद्यार्थियों को मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य कलापों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करें।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में इन कार्य कलापों में से एक का प्रशिक्षण आवश्यक विषय होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को पोस्ट-ग्रेजुयेट स्तर पर अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और बी०ए० के स्तर की कक्षाओं से नाटक व संगीत जैसे विषयों को लगा लेना चाहिए।

कॉलेज व स्कूल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण व ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वे अपनी छुट्टियों में संस्थाओं और देहातों में ऐसे कार्य कलापों में व्यस्त हो जाएं।

मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य कलाप पाठशालाओं के पाठ्य-क्रम का एक अंग बन जाना चाहिए और विद्यार्थी के लिए अपनी रुचि के आधार पर उनमें से किसी का चुनाव करने के लिए विषयों की एक विशाल सूची मिलनी चाहिए।

(२) समाज शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को इन कार्य-कलापों के संगठनात्मक पहलू पर अधिक ध्यान देना चाहिए

प्रशिक्षण का ध्येय यह होना चाहिए कि समाज शिक्षा कार्य कर्ता इन सब उपकरणों को पूरे विश्वास के साथ अपने हाथ में ले सके।

प्रशिक्षणार्थी को इतना अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह योग्यता व रुचि के आधार पर स्वयं ही कुछ मनोरंजनात्मक कला सीख ले।

ऐसा प्रयास होना चाहिए कि महिला कार्य कर्ता अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके जिससे कि वे स्त्रियों व बालकों में इन कार्य कलापों की उत्तम व्यवस्था कर सके।

मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य कलापों में भाग लेना, साहित्यनिर्माण का काम व कला का ज्ञान ये सब प्रत्येक समाज शिक्षा कार्य कर्ता के लिए आवश्यक होने चाहिए।

(३) सामुदायिक केन्द्र

सामुदायिक केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण के कार्य को भी एक कार्य के रूप में चलाना कठिन है क्योंकि उनके पास कार्य कर्ताओं का बड़ा भारी अभाव

है। फिर भी किसी योग्य स्थानीय व्यक्ति को अपनी कला दूसरों के सिखाने के लिए प्रोत्साहित करके वे प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

समाज शिक्षा कार्य कर्ता मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य कलापों के प्रशिक्षण के हेतु सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग कर सकते हैं जब जब भी वे उन्हें देखने जाए।

सांस्कृतिक ऐकेडेमी, ऐच्छित संस्थाएं, शारीरिक कल्याण संस्थाएं, भारत सेवक समाज, और अन्य इसी प्रकार की संस्थाएं भी भिन्न भिन्न मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्य कलापों में अपने कार्य कर्ताओं और सहभागीय को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं।

LIST OF PUBLICATIONS

		Price
1	First National Seminar Report on the Organisation and Techniques for the Liquidation of Illiteracy ...	2/8/-
2	Second National Seminar Report on the Organisation of Community Centres ...	2/8/-
3	Third National Seminar Report on Preparation of Literature for Neo-Literates ...	3/8/-
4	Fourth National Seminar Report on Training of Social Education Workers ...	3/8/-
5	Social Education Literature, by Dr. S. R. Ranganathan ...	10/8/-
6	Indian Adult Education Association "What it is and what it does" ...	1/-/-
7	Rural Adult Education in India, by Dr. S. R. Ranganathan ...	1/-/-
8	Training in Social Education, by M. C. Nanavatty ...	3/-/-
9	"Indian Journal of Adult Education" A quarterly Journal (Yearly Subs.) ...	5/-/-
10	"Social Education News Bulletin" A Monthly Bulletin (Yearly Subs.) ...	3/-/-
11	Revised Edition of "Education for Leisure" by Dr. S. R. Ranganathan ...	5/-/-
12	"Place of Recreation in Social Education" by S. C. Dutta ...	1/8/-
13	Directory of Adult Education Agencies and Workers ...	5/-/-
14	Fifth National Seminar Report on the Organisation of Recreational and Cultural Activities in Social Education ...	2/8/-
15	Sixth National Seminar Report on the Role of Libraries in Social Education ...	3/8/-
16	Shaksharta Prasar Tatha Biradari Ghron ki Vyavastha (Hindi) ...	-/12/-
17	Samaj Shiksha Karyakartaon Ki Samasyayen Aur Unke Hal (Hindi) ...	1/8/-
18	Navshikshit Praudhon Ke Liye Sahitya Ka Nirman (Hindi) ...	1/8/-
19	Samaj Shiksha Path Pradarshika (Hindi) ...	1/8/-
20	Janta College Ki Vyavastha Aur Karye (Hindi) ...	-/8/-
21	Praudh Shiksha (Aadhunik Vichardharyen Va Prayog) (Hindi) ...	2/-/-
22	Aadharbhoot Shiksha (Nirupan Aur Karyakram) (Hindi) ...	1/10/-
23	The Role of Adult Education in Community Development ...	1/8/-
24	Samaj Shiksha me Manoranjan Aur Sanaskritak Karya ...	-/12/-

Can be had from :

Indian Adult Education Association

30, FAIZ BAZAR, DELHI